संख्या–2237/111 (2)/05–77 (प्र.आ.)/2005

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लो.नि.वि. देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 9 दिसम्बर,2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–2006 में राजभवन नैनीताल के मुख्य भवन के पुर्नविद्युतीकरण एवं कारपेट व कर्टेनिंग कार्य की प्रशाकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव श्री राज्यपाल के पत्र सं0 2303/जी.एस./2005 दिनांक 4.10.2005 एवं पत्र सं0–2302/जी.एस./2005 दिनांक 4.10.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड/वि./यां. खण्ड,लोक निर्माण विभाग,नैनीताल /पिथौरागढ द्वारा राजभवन नैनीताल के मुख्य भवन के पुर्नविद्युतीकरण एवं कारपेट व कर्टेनिंग कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये दो कार्यो के आगणन क्रमशः रू0 14.05 लाख एवं 17.40 लाख कुल लागत रू0 31.45 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 13.32 लाख एवं 17.20 लाख अर्थात कुल रू0 30.52 लाख (रू0 तीस लाख बावन हजार मात्र) की लागत के आगणनों की उनके सम्मुख कालम 4 पर अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का मासिक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही कोषागार से आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओ पर ही किया जायेगा । शासन की पूर्वानुमति के बिना नई योजनाओं पर धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा, कार्यवार आवंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।

3– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाये,व्यय उन्ही मदो मे किया जायेगा । जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ साथ विस्तृत आगणना पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय । कार्य कराते समय टेण्ड विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

5– उपकरणो/सामग्रियो का क्रय डी.जी.एस.एण्ड डी.की दर अथवा टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमो का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

7 व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

8– व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

[signature]

9— उक्त कार्य शासनादेश सं0 –656 / III–2 / 05–20 (बजट) / 2005 दिनांक 27 मई,2005 के द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गई धनराशि की मद सं0 29 अनुरक्षण से यथा आवश्यकतानुसार व्यय किया जायेगा ।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0 – 194 / XXVI(2) / 05 दिनांक 08 .12..2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः— यथोक्त।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

संख्या—2259 (1) / III(2) / 05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1— महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून।
2— सचिव श्री राज्यपाल,सचिवालय, देहरादून।
3— आयुक्त कुमायू मंडल, नैनीताल।
4— जिलाधिकारी / कोषाधिकारी , नैनीताल / पिथौरागढ़ ।
5— मुख्य अभियन्ता, कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
6— वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
7— अधिशासी अभियन्ता निर्माण / वि. / यां. खण्ड,लो0नि0वि0 नैनीताल / पिथौरागढ़
8— वित्त अनुभाग 2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
9— निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तरांचल देहरादून।
10— लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तरांचल शासन।
11— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या– 2259 / III(2)/05 77(प्रा.आ.)/05 दिनांक 9 नवम्बर,2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि
1	2	3	4
1.	राजभवन नैनीताल के मुख्य भवन का पुनः विद्युतीकरण का कार्य ।	14.05	13.32
2.	राजभवन नैनीताल के मुख्य भवन के कारपेट व कर्टेनिंग कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन ।	17.40	17.20
	योग:	31.45	30.52

(रू0 तीस लाख बावन हजार मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।